

KHAN SIR OFFICIAL

**Kisan Cold Storage, Sai Mandir, Musallahpur,
Patna - 6**

Mob. : 8877918018, 8757354880

भारतीय संविधान के भाग

By : Khan Sir
मानचित्र विशेषज्ञ

भारतीय संविधान के भाग

भाग	अनुच्छेद
1. संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
2. नागरिकता	5 से 11
3. मौलिक अधिकार	12 से 35
4. नीति निर्देशक तत्व	36 से 51
4 क. मुल कर्तव्य	51 (क)
5. संघ	52 से 151
6. राज्य	152 से 237
7. पहली अनुसुची के भाग ख के राज्य	238 (निरसित)
8. संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
9 क. पंचायत	243, 243 क से ग तक
9 ख. सहकारी समितियाँ	243 त से 243 ह
10. अनुसुचित और जनजातीय क्षेत्र	244, 244 क
11. संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
12. वित्त संपत्ति संविदायें और वाद	264 से 300 क
13. भारत के राज्य क्षेत्र के भितर व्यापार वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
14. संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
14 क. अधिकरण	323 क, 323 ख
15. निर्वाचन	324 से 329
16. कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अपवंध	350 से 342
17. राजभाषा	343 से 351
18. आपात अपवंध	352 से 360
19. प्रकीर्ण	361 से 367
20. संविधान संशोधन	368
21. अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवंध	369 से 392
22. समता या समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 से 18
23. संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 – 395

मौलिक कर्तव्य

(1)	समता या समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 से 18
(2)	स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19 से 22
(3)	शोषण के विरुद्ध अधिकार	अनुच्छेद 23 से 24
(4)	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 25 से 28
(5)	संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार	अनुच्छेद 29 से 30
(6)	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

संविधान (Constitution)

सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं।

भाग-1 संघ और राज्य क्षेत्र (1-4)

अनुच्छेद 1 — भारत राज्यों का संघ (Union) है अर्थात् इसके राज्य कभी-भी टुटकर अलगन नहीं हो सकते हैं।

Note — जो देश federation होते हैं। उसके राज्य टुट सकते हैं जैसे-सोवियत संघ U.S.A.

अनुच्छेद 2 — संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं।

Ex- 16 may 1975 के सिक्किम का भारत में विलय

अनुच्छेद 3 — संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सिमा को बदल सकते हैं।

जैसे-बिहार से झारखण्ड

उड़िसा से ओडिशा

अनुच्छेद 4 — अनु. 2 और 3 में किया गया संशोधन अनु. 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात् इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं।

भारतीय राज्यों का इतिहास

आजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत (राज्य) में टुटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं। या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा K.K. मेनन ने किया उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया-किन्तु तीन राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे।

(i) **जम्मूकाश्मीर**-यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है यहाँ के राज्य हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुला था इसी बीच पाकिस्तान के इशरा पर काश्मीर में घुसपैठ होने लगी जिसके बाद 26 oct 1947 को काश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया।

(ii) **जूनागढ़**-यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किन्तु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर (Referendum) उसे भारत में मिला दिया।

(iii) **हैदराबाद**-हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किन्तु सरदार पटेल ने पुलिस कि वर्दी में सेना भेजा जिसे आपरेशन पोलो कहा गया इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया।

इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में A, B, C, D में बाँटा गया।

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में S.K. घर आयोग का गठन किया गया किन्तु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।

तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य के माँग करते हुए पेट्रू श्री रामल भुख हरताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भुख हरताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई फल स्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फल स्वरूप नेहरू जी ने 10 oct 1953 में तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य आंध्रप्रदेश को अलग कर दिया अन्ततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना।

भाषायी आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषायी आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फल स्वरूप 7वाँ संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषायी आधार पर 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।

Note — पंजाब राज्य का पुर्णगठन साह आयोग के सिफारिश पर हुआ।

नागरिकता

⇒ कोई भी देश अपने मुल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकही नागरिकता है। अर्थात् हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है।

भारत कि नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था।

⇒ नागरिक होने के कारण PAN Card, Adhar Card दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

⇒ **नागरिक कि चर्चा भाग-2 में अनुच्छेद (5–11) तक है।**

अनुच्छेद 5 — संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जो उस समय भारत के अंदर थे।

अनुच्छेद 6 — पाकिस्तान से भारत में आये लोगों का नागरिकता किन्तु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी।

अनुच्छेद 7 — स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।

अनुच्छेद 8 — विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 9 — विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10 — भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते।

अनुच्छेद 11 — नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।

नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ

भारत में नागरिकता प्राप्त करने की पाँच विधियाँ हैं।

- जन्म के आधार पर—भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता-पिता भारत के नागरिक हो तो Ex- हम सभी।
- विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जायेगी। यदि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो Ex- शिखर ध्वन
- किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर-वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दि जायेगी। सिक्कीम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई। नागरिकता बंगला देश के परगना जिले को नागरिकता।
- पंजीकरण-इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है।
- देशीकरण-वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। वैज्ञानिक या कला में निपूण हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो।

- * Overseas नागरिकता-इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के भारत आ सकता है।
- Note —** देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दुसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कि जा सकती है।
- * **VISA**— किसी दुसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही VISA कहते हैं। बिना VISA किसी दुसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते।
 - * **PASSPORT**— अपने देश को छोड़कर दुसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। जिसे Passport कहते हैं।

भाग-3 मुल अधिकार (अनु० 12-35)

मुल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मुल अधिकार को जैग्नाकारा कहते हैं। इसे U.S.A के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद 15 — मुल अधिकार की परिभाषा

अनुच्छेद 13 — यदि हमारे मुल अधिकार को किसी दुसरे मुल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मुल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। (अल्पीकरण)

- * **समता/समानता का अधिकार [अनु० 14-18]**

अनुच्छेद 14 — विधी के समक्ष समानता अर्थात् कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जब कि कानून के समान संरक्षण कि व्यवस्था अमेरिका से ली गई है।

अनुच्छेद 15 — जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर सर्वजनिक स्थान (सरकारी स्थान) पर भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 16 — लोक निर्वाचन [सरकारी नौकरी की समानता] इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है।

अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता [छुआ छुत का अन्त]

अनुच्छेद 18 — उपाधियों के अंत (किन्तु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पदम विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है।

स्वतंत्रता का अधिकार [अनु० 19 – 22]

अनुच्छेद 19 — (i) अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता झण्डा लहराने, पुतला जलाने RII तथा प्रेस कि स्वतंत्रता

(ii) बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता

(iii) संगठन बनाने कि स्वतंत्रता

(iv) बिना रोक टोक चारों ओर घुमने कि स्वतंत्रता

(v) भारत में किसी क्षेत्र में बसने कि स्वतंत्रता

(vi) सम्पत्ति का अधिकार अब यह मुल अधिकार नहीं रहा। बल्की कानूनी अधिकार हो गया।

- * सम्पत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 (क) के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया।

(vii) व्यवसाय करने कि स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20 — इसमें तीन प्रकार कि स्वतंत्रता दी गई है।

(i) एक गलती कि एक सजा

(ii) सजा उस समय के कानून के आधार पर दि जायेगी न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर

(iii) सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है।

Note — अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोशी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता।

अनुच्छेद 21 — इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसी के कारण अधिक धुआ देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चलाने काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता।

Note — अनुच्छेद 20 तथा 21 को अपातकाल के दौड़ान नहीं रोका जा सकता अतः इसे सबसे शक्तिशाली मुल अधिकार कहते हैं।

अनुच्छेद 21 (क) इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वाँ संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 — इसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण (रक्षा) करती है।

- (i) व्यक्ति को रिगफ्तार करने से पहले वारंट (कारण) बताना होता है।
- (ii) 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह-शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है।
- (iii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकिल रखने का अधिकार है।

*** निवारक विरोध अधिनियम (Privensive Detention)**

⇒ इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के IV में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये अधिकतम तीन महिने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है।

*** नजरबंद** — किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है। तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है।

*** भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम**

(i) **निवारक विरोध अधिनियम 1950** — यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम या 31 Dec 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(ii) **MISA (mentinance of Internal security Act)** — इसे 1971 में लाया गया किन्तु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(iii) **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)** — इसे 1980 में लाया गया यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खरनाक अधिनियम है इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है।

(iv) **TADA (Terioist and Distructive Activity)** — इसे 1985 में लाया गया आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 may 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(v) **POTA (Prvention of Terririst Act)** — यह भी आतंक वादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया।

*** शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनु० 23–24]**

अनुच्छेद 23 — बालात श्रम (जबरदस्ती श्रम) तथा बेरोजगारी (बिना वेतन) पर रोक लगाया गया। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात श्रम या बेगारी कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 24 — 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता।

*** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [अनु० 25–28]**

अनुच्छेद 25 — अंतः करण की चर्चा अर्थात् व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता कि चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण (तलवार) मुस्लिमों को दाढ़ी, हिन्दुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 26 — इसमें सामुहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सङ्क पर नमाज पढ़ने कि अनुमती है।

अनुच्छेद 27 — धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता।

अनुच्छेद 28 — सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Remark — संस्कृत एक भाषा है। न कि हिन्दू धर्म कि धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उर्दु तथा अरबी एक भाषा है। न कि इस्लाम धर्म कि शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है।

* **संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार [अनु० 29 – 30] अल्पसंख्यक**

अनुच्छेद 29 — [अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षण]—

इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।

अनुच्छेद 30 — [अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण]

अल्पसंख्यक यदी बहुसंख्यकों के बिच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है। तो अल्पसंख्यक अपने पसंद कि संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी।

अनुच्छेद 31 — इसमें पैतृक सम्पत्ति कि चर्चा की गई है। जो मुल अधिकार या किन्तु 44वाँ संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300 (क) में जोड़ दिया गया।

Remark — अनुच्छेद 19(VI) में अर्जित सम्पत्ति की चर्चा है। जबकि 31 में पैतृक सम्पत्ति कि चर्चा है।

(ii) मुल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता जबकि कानूनी अधीकार को जनता नहीं छीन सकती किन्तु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भुमि अधिग्रहण विधेयक लाया।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार [अनु० 32]

* **अनुच्छेद 32** — संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मुल अधिकार कहा जाता है। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सिधे सुप्रिम कोर्ट जा सकता है। सुप्रिम कोर्ट पाँच प्रकार के रिट/याचिका या समादेश जारी करती है।

बन्दी परमेश्वर उसका अधिकार

बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्रतिशोध परमादेश उत्प्रेशन अधिकार प्रिच्छा

* **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हवियस कपर्स)** — यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बन्दी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश देती है। कि उसे 24 घंटे के भितर सह शरिर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

* **परमादेश (मेन्डेमस)** — इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसपे यह जारी किया जाता है।

* **अधिकार पृच्छा (कोवैरेन्टो)** — जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छा आता है।

⇒ अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय अपात) के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है। जिसे वंचित नहीं किया जा सकता।

* **प्रतिषेध (Prohibition)** — यह उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है। जब नीचली न्यायालय अपने अधिकारों का उलंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

* **उत्प्रेषण (Certiorari)** — यह भी उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है। जब नीचली न्यायालय अपने अधिकार का उलंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

Note — अम्बेदकर ने अनु० 32 को संविधान कि आत्मा कहा था।

Note — किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। -प्रस्तावना

Note — ये पाँच प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 33 — राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मिडिया तथा गूप्तचर के मुल अधिकार को सीमित कर सकती है।

अनुच्छेद 34 — भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून (Marshal law) लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को Court Marshal कहते हैं। सबसे कठोर Marshal law AFSPA है। [Axnel Forces Special Power Act]

अनुच्छेद 35 — भाग-3 में दिए गए मुल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा।

* मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बाँटा गया था। किन्तु वर्तमान में 6 श्रेणीया है।

श्रेणी

अनुच्छेद

1.	समानता का अधिकार	[14 – 18]
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	[19 – 22]
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार	[27 – 24]
4.	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	[25 – 28]
5.	शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार	[29 – 30]
6.	सम्पत्ति का अधिकार	31 ×
7.	संवैधानिक उपचार का अधिकार	32

Note — अनुच्छेद 14, [20, 21, 21A], [23, 24], [25 – 28] – भारतीय तथा विदेशीयों दोनों के लिए।

* अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है।

* हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मुल अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है।

* स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है।

* वोट डालने का अकिञ्चित राजनीतिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं।

* मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं।

* मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक $\frac{SC}{32}$ तथा $\frac{HC}{226}$ को कहते हैं।

[भाग-4] नीति निर्देशक तत्त्व

इसे भाग-4 में अनुच्छेद 36 – 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैण्ड के संविधान से लाया गया है। तथा आयरलैण्ड ने स्पेन के संविधान से लाया या ये ऐसे तत्त्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है। किन्तु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे। जो उन्हें उपलब्ध करा सके-अतः यह सरकार कि इच्छा पर निर्भर है। जिस कारण के टी साह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्त्व इस चेक के समान है। जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। नीति निर्देशक तत्त्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र कि स्थापना करना है।

अनुच्छेद 36 — परिभाषा

अनुच्छेद 37 — इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात् यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनिय नहीं है। या वाद योग्य नहीं है।

अनुच्छेद 38 — लोक कल्याण कि अभिवृत्ति अर्थात् सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे-राशन कार्ड (सामाजिक राजनीतिक न्याय)

अनुच्छेद 39 — समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण।

अनुच्छेद 39 (क) निशुल्क विधि (कानूनी) सहायता [42वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 — कुछ दशाओं में सरकारी सहायता [काम, शिक्षा प्राप्त करना जैसे-वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को सार्विकिला]

अनुच्छेद 42 — न्यायसंगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसुती सहायता उपलब्ध करना जैसे-गर्भावती महिला द्वारा कठोर शारिरीक

श्रम न करना

अनुच्छेद 43 — निर्वाह योग मजदुरी अर्थात् इतना वेतन दिया जाये की परिवार चला सके। [कुटीर उद्योग]

TRICK — दमन

41 42 43

अनुच्छेद 43 (क) उद्योग प्रबंधन में कामगारों कि भागीदारी।

अनुच्छेद 44 — समान सिविल संहिता अर्थात् सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक कि शर्तें समान रहेगी भले ही विवाह कि रितिया अलग हो।

Note — अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं।

अनुच्छेद 45 — 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार कि जिम्मेदारी है। तथा 6 – 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकारी कि जिम्मेदारी है।

Note — शिक्षा के अधिकार को अमुल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ दिया है। [86वां संशोधन 2002]

अनुच्छेद 46 — SC/ST/OBC के लिए विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 47 — सरकार वोशायूक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी।

अनुच्छेद 48 क — पर्यावरण बन तथा बन्य जीव कि रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। [42वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद 50 — कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना।

अनुच्छेद 51 — अन्तराष्ट्रीय शान्ति को बढ़ावा देना। अन्तराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्था द्वारा सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना।

नीति, निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण

* नीति निर्देशक तत्त्व के तीन भाग में बाँटते हैं।

(i) गाँधीवादी — अनु० 40, 43 क, 46, 47

(ii) समाजवादी — 38, 39, 39 (क) 41, 42, 43

(iii) वैद्विक या उदारवादी — 44, 45, 48, 48 क, 49, 50, 51

Note — मिनरमा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति-निर्देशक तत्त्व या मुल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। अर्थात् संतुलन बनाये रखें। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्त्व एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य पर पहुँचने का साधन मूल अधिकार है।

* मुल अधिकार तथा निति निर्देशक तत्त्व में अंतर-

मुल अधिकार	निति निर्देशक तत्त्व
(i) इसे USA से लिया गया है।	इसे आयर लैण्ड से लिया गया है।
(ii) इसे भाग-3 में रखा गया है।	इसे भाग-4 में रखा गया है।
(iii) यह नैसर्गिक अधिकार होता है। तथा जन्म से हि मिल जाता है।	यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के बाद मिलता है।
(iv) यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद् योग्य है।	यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद् योग नहीं है।
(v) यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात् ऋणात्मक है।	यह सरकार कि अधिकार को बढ़ा देता है। अर्थात् धनात्मक है।
(vi) इसके पिछे कानूनी मान्यता है।	इसके पिछे राजनीतिक मान्यता है।
(vii) यह निलंबित हो सकता है।	यह निलंबित नहीं हो सकता है।
(viii) यह व्यक्ति के भलाई के लिए है।	यह समाज में भलाई के लिए है।

[मूल कर्तव्य]

- ⇒ इसे 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51 (क) के तहत जोड़ा गया मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे 42वाँ (1976) द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वाँ संशोधन द्वारा 1 और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है।
- (1) संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था (संसद SC, HC) राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतिक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- (2) राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। (नारा)
- (3) देश की सम्प्रभुता (दबाव रहित शासन) एकता तथा अखंडता को बनाये रखना।
- (4) देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना।
- (5) देश के लोगों में सम्रता (मेल-मिलाप) तथा भाई चारा बनाये रखना।
- (6) देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना।
- (7) वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।
- (8) पर्यावरण, वन्य तथा बन्यजीव की रक्षा करना।
- (9) सार्वजनिक (सरकारी) सम्पत्ति की रक्षा करना।
- (10) व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना।
- (11) 6 – 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक (guardiaon) का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये [86वाँ संशोधन 2002]

मूल अधिकार 21 (क) – 6 – 14 वर्षों को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

86वाँ संशोधन 2002 –

मूल कर्तव्य 51 (क) 6 – 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देना का कर्तव्य

86वाँ संशोधन 2002 —


→ मूल अधिकार 21(क)–6–14 वर्षों
को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का
अधिकार

→ मूल अधिकार 51(क)–6–14 वर्षों
के बच्चों के अभिभावकों उनकी
प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य

Note – शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन


- ⇒ यह मानवाधिकार कि रक्षा करता है। इसकी मूख्यालय दिल्ली है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसकी अध्यक्षता सुप्रिम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायधीश होता है। तथा इसमें 7 सदस्य होते हैं।
- * **कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका**
- ⇒ विधि/विधेयक (Bill) बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने कि शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। तथा यदी उसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है। तो उसके न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है।



भाग-5

संघ अनुच्छेद 52 – 151

राष्ट्रपति-





अनुच्छेद-52 — राष्ट्रपति का पद — राष्ट्रपति देश का औपचारिक (नाम मात्र के लिए) प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है।

अनुच्छेद-53 — कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात् सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जायेंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान PM होता है।

अनुच्छेद-54 — राष्ट्रपति का निर्वाचन — इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है।

- * **अनुपातिक पद्धति** — इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वारीयता क्रम में वोट देना होता है।
- * **एकल संक्रमणीय** — इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के vote को लेकर अधिक vote पाए उम्मीदवार के vote में जोड़ दिया जाता है।
- * **प्रथम चरण की मतगणना** — इसमें उम्मीदवार की पहली वारियता सूची गिनी जाती है।
- * **द्वितीय चरण** — इसमें द्वितीय वारियता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है।
- ⇒ वी. वी. गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।
- * **अप्रत्यक्ष मतदान** — राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
- * **राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल** — राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य (29 + 2) [दिल्ली + पाण्डिचेरी] के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- ⇒ विधान परिषद् राज्य सभा के 12 मनोनित सदस्य तथा लोकसभा के 2 Anglo Indian राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
- ⇒ मुख्यमंत्री जब विधान परिषद् का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा।
- ⇒ 69वाँ संशोधन 1990 द्वारा Delhi तथा पाण्डिचेरी में विधान सभा का गठन किया गया।
- ⇒ 70वाँ संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में दिल्ली तथा पाण्डिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किया गया।



- * 1 MLA के vote को value —

$$1 \text{ MLA} = \frac{\text{राज्य का जनसंख्या}}{\text{राज्य का MLA}} \times 1000$$

- * 1 MLA के vote को value —

$$1 \text{ MLA} = \frac{\text{कुल MLA का वोट}}{\text{कुल सांसद की संख्या}}$$

Note — भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर M.L.A का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है। जब कि M.P. का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11,000,00 वोट लगभग पड़ते हैं।

⇒ **राष्ट्रपति की जमानत राशि-**

चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में R.B.I के पास रखनी होती है।

यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जप्त हो जाएगी।

इसे जमानत जप्त होना कहते हैं। यह अपमान कि स्थिति है।

- * **अनुच्छेद-55 —** इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। जमानत जप्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है।

$$\text{कुल} = \frac{\text{कुल वोट}}{\text{कुल प्रत्याशी}} + 1$$

Total vote = 60

$$\text{जमानत} = \frac{60}{6} = 10$$

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

$$\text{कोटा} = \frac{60}{13+1} + 1 = \frac{60}{14} + 1 = \frac{74}{14} = 6 \text{ लगभग}$$

अनुच्छेद 56 — इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है। तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है। न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए—

Note — अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है।

- * **अनुच्छेद 57 —** एक ही राष्ट्रपति दुवारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डा. राजेन्द्र प्रसाद ही दोवारा निर्वाचित हुए हैं।

*** अनुच्छेद 58 — योग्यता**

- (1) वह भारत का नागरिक हो
- (2) 35 वर्ष आयु
- (3) लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता
- (4) 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो।

*** अनुच्छेद 59 दशाएँ/शर्तें-**

- (1) पांगल या दिवालिया न हो
- (2) लाभ के पद पर न हो
- (3) संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो।

⇒ यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है।

Note — सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है सांसद मंत्री विधायक लाभ के पद नहीं है ये जनता के सेवक हैं।

*** अनुच्छेद-60 — राष्ट्रपति को शापथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में Sc के शेष 30 न्यायाधिकारों में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएँगे।**

न्यायिक शक्ति — अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति कि क्षमा शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है यह 5 प्रकार के किसी सजा को माफ कर सकता है।

1. **क्षमा** — जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं।

2. **लघुकरण** — इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किन्तु समय नहीं घटाते हैं।

Ex- फाँसी की सजा को आजीवन कारावास दस साल कठोर कारावास को दस साल साधारण कारावास।

3. **प्रतिहार** — इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं। किन्तु प्राकृति नहीं।

Ex- 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास

— इसका प्रयोग फाँसी की सजा पर नहीं हो सकता है।

4. **विराम** — किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है। तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं।

5. **प्रतिलिंबन** — राष्ट्रपति जब फाँसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है। तो उसे प्रतिलिंबन कहते हैं। यह इस लिए लगाया जाता है। कि कैदी दयायाचिका अपील कर सके।

Note — राष्ट्रपति civil court तथा सेना कि कोर्ट दोनों कि सजा माफ कर देते हैं। जब कि राज्य पाल केवल civil court की सजा माफ कर सकता है। [मौत कि सजा राज्यपाल छोड़कर]

राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है। किन्तु फाँसी एवं सेना कि सजा को माफ नहीं कर सकता।

⇒ अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना कि सजा को माफ नहीं कर सकता है।

शैन्य शक्ति — यह तीनों सेना का प्रधान होता है। अतः यह किसी देश से युद्ध/विराम कि घोषणा करता है।

⇒ **राजनैतिक शक्ति** — यह भारत के राजदुत को विदेश में भेजता है। तथा विदेशी राजदुत को भारत में आने की अनुमती देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमती लेकर जाते हैं।

*** राष्ट्रपति का अपात कालीन शक्तियाँ -**

1. **राष्ट्रीय अपात अनुच्छेद 352** — जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रीमण्डल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय अपात की घोषणा करते हैं।

⇒ घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय अपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदक करेगी।

⇒ दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद अपात छः माह तक लागू अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है।

⇒ यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रीमण्डल सिफारिश के आपात लागू कर देता है। तो इसकी चुनौती सुप्रिम कोर्ट में दी जा सकती है।

राष्ट्रीय अपात का प्रभाव

1. इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है।
2. देश का संघीय ढाचा प्रभावित हो जाता है।
3. अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार कि स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है।
4. अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है।
5. राज्य सरकार शक्ति विहिन हो जाती है।
6. संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। किन्तु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है।

Note — अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रीमण्डल शब्द का चर्चा हुआ है।

⇒ अब तक तीन बार राष्ट्रीय अपात लगा है।

1. 1962 _____ चीन युद्ध
2. 1971 _____ बंगला देश संकट
3. 1975 _____ आंतरिक अशांति

⇒ इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।

2. राजकीय अपात या राष्ट्रपति शासन-

यह तब लाया जाता है। जब राज्य का संवैधानिक ढाचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि-प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी।

अर्थात् बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केन्द्र सरकारों के दिशा-निर्देशों पर कार्य करेगी।

यदि 355 या 365 का कोई राज्य उलंघन करेगा, तो राज्यपाल की सुचना पर मंत्रीमण्डल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति अपात लागू कर दिया जाता है।

⇒ राजकीय अपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है।

यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी।

संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा।

6–6 माह करके इसे अधिकतम तीन माह तक लागू किया जाता है।

⇒ अपवाद के रूप में जम्मू और काश्मीर में राजकीय अपात 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी।

⇒ पहली बार राजकीय अपात पंजाब (PEP) 1952 ई० में लागू हुआ।

* राजकीय अपात का प्रभाव-(1) राज्य की सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं।

2. मुख्यमंत्री शक्तिविहीन

3. राज्य की विधायी शक्तियाँ साँस के पास चली जाती हैं।

4. राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है।

Note — राजकीय अपात के दौरान H.C. में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं।

3. वित्तीय अपात अनुच्छेद-360 — इसे USA के संविधान से लाया गया है। इसे तब लाया जाता है। इसे तब लाया जाता है। जब देश कि वित्तीय स्थिति काफी खराब हो।

⇒ इसे मंत्रीमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं।

⇒ संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है।

- ⇒ यदि राज्यसभा ने अनुमोदक कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों में भीतर अनुमोदित करेगी।
- ⇒ एक बार अनुमोदक मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तो यह नहीं हटता है।
- ⇒ यह अभी तक लागू नहीं है।

प्रभाव :- (1) राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाते हैं।
 2. सरकारी खर्च में कटौती की जाती है।
 3. Tax बढ़ा दिया जाता है।

आपात	संसद का अनुमोदन	नई लोकसभा
राष्ट्रीय आपात अनु०-352	30 दिनों के अंदर	30 दिन
राजकीय आपात अनु०-356	60 दिन	30 दिन
वित्तीय आपात अनु०-360	60 दिन	30 दिन

- * **राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति**-इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है अर्थात् किसी को बहुमत न मिले तो करते हैं।
- ⇒ जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को PM घोषित कर देते हैं। और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह PM होगा अन्यथा दोबारा चुनाव होगा।

- * **राष्ट्रपति की बीटो शक्ति-विधेयक** को रोकने की शक्ति को बीटो शक्ति कहते हैं। यह तीन प्रकार की है।
 1. **अत्यंत कारी बीटो**-राष्ट्रपति जब विधेयक को पुरी तरह रद्द कर देते हैं। तो उसे अत्यंत कारी बीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है।
 2. **निलंबकारी**-राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं।
 3. **Pocket/जेब बिटो**-जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए। बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो उसे Pocket बीटो कहते हैं।
- ⇒ डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जेब बीटो का उपयोग किया है।

- * **विशेषाधिकार शक्ति-राष्ट्रपति पर दिवानी मुकदमा** चलाया जा सकता है। किन्तु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता है।

कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। अर्थात् यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।


- ⇒ राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं।

अनुच्छेद-61 — राष्ट्रपति का महाभियोग-महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया U.S.A. के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है। उस सदन का 1/4 (25%) सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे।


- ⇒ जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है। तो दुसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सुचना राष्ट्रपति को दी जाती है।

उपराष्ट्रपति




- * **अनुच्छेद-63** — राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो U.S.A के संविधान से ली गई है।
- * **अनुच्छेद-64** — राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। किन्तु वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है।
- * **अनुच्छेद-65** — राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। किन्तु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा।
- * **अनुच्छेद-66** — उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चाहे वह मनोनित हो या निर्वाचित।
- ⇒ राज्य की विधानमण्डल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता।
 - (1) वह भारत का नागरिक हो।
 - (2) पागल या दिवालिया न हो।
 - (3) 35 वर्ष आयु का हो।
 - (4) लाभ के पद पर न हो।
 - (5) 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो।
 - (6) 15000 रुपया जमानत कि राशि हो।
 - (7) राज्यसभा का सदस्य बनने कि योग्यता।
- * **अनुच्छेद-67** — राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है किन्तु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है। तो वह तब तक अपने पदों पर रहेगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके।

5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
- * **उपराष्ट्रपति पर महाभियोग-**
यह राज्य सभा का सभापति होता है। इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्य सभा से ही प्रारंभ होगा।
- ⇒ **महाभियोग-प्रक्रिया**—प्रारंभ करने के लिए 1/4(25%)। मत की आवश्यकता है जब राज्य सभा इसे पारित कर देते हैं। तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सुचना उपराष्ट्रीय को दी जाती है। ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा का 2/3 (66%) से मत पारित कर देती है। तो उसे हटा दिया जाता है।
- ⇒ अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है।



- * अनुच्छेद-68 — उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। अर्थात् इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है।
- * अनुच्छेद-69 — उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है।
- * अनुच्छेद-70 — वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा।

Ex- खराब स्वास्थ्य, अपहरण इत्यादि।



- * अनुच्छेद-71 — राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा।
 - * अनुच्छेद-72 — राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं।
 - * अनुच्छेद-73 — संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा।
 - * अनुच्छेद-74 — राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगा। जिसका अध्यक्ष PM होगा। अर्थात् मंत्रीपरिषद् प्रधानमंत्री के अधीन होता है।
 - * अनुच्छेद-75 — मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (व्यवस्था) अर्थात् मंत्रियों की नियूक्ति P.M. के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
- ⇒ 1861 ई० से भारत में लार्ड केनिन ने विभागीयों प्रणाली (पोर्ट पोलियो) लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग-अलग विभाग में बाँट दिया। इसे मंत्रियों को सौंप दिया।

मंत्रीपरिषद् (Council of Minister)

- ⇒ इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं।
- 1. **कैबिनेट मंत्री** — यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
- 2. **राज्यमंत्री** — प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है। यह हर एक विभाग में होता है।
- 3. **राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** — जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है। तो उस विभाग के राज्यमंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है।
- ⇒ **उपमंत्री** — यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्यमंत्री कि सहायता करता है।

Remark— जब किसी विभाग को दुसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है। तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं।

मंत्रीमण्डल (Group of Minister) —

इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं।


⇒ मंत्रीमण्डल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है।

note— Prime Minister मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् दोनों का अध्यक्ष होता है।


सुपर कैबिनेट — अर्थशास्त्री “K संथानन” ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है।

* **किंचेन कैबिनेट** — प्रधानमंत्री के साथ सम्बंधियों को किंचेन कैबिनेट कहा जाता है।

Council of Minister



Group of Minister



- ⇒ मंत्री परिषद् में विभाग वितरण PM के इच्छानुसार होती है।
 - ⇒ यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोक सभा में बैठ सकता है। किन्तु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है।
 - ⇒ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
 - ⇒ मंत्री परिषद का अध्यक्ष PM होता है। अतः PM के मृत्यु त्याग पत्र से मंत्री परिषद भंग होता है। और जब नया PM पुनः मंत्री परिषद् का गठन करता है।
इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है। अर्थात् दुवारा चुनाव नहीं होगा।
 - ⇒ दुवारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत (273) शीट कम पर जाएगी।
 - ⇒ बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है।
 - ⇒ B.J.P. के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन National Democratic Alliance [राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग, NDA)] है।
- सहायक दल :-**

- शिवसेना (महाराष्ट्र)
- अकाली दल (पंजाब)
- JDU (बिहार)
- लोजपा (बिहार)

NDA 1 – 2014 – 19

NDA 2 – 2019 – 24

United Progressive Allion [संयुक्त प्रगतिशिल गठबंधन संप्रग]

⇒ कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन U.P.A. कहलाता है।

→ Congress

→ B.S.P. (U.P.)

→ S.P. (U.P.)

→ R.J.D. (BIHAR)

UPA 1 – 2004 - 09

UPA 2 – 2009 - 2019

⇒ U.P.A. या NDA के आलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है।

★ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ – ये योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमंडल तथा मंत्रीपरिषद् राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् अध्यक्ष होता है।

⇒ PM, CAG महान्यायवादी मंत्री etc के न्यूक्ति सम्बंधी सिफारिस राष्ट्रपति को भेजते हैं।

⇒ “मोरले नामक विद्वान ने PM को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है।”

⇒ म्युर नामक विद्वान ने राज्यरूपी जहाज का स्ट्रिंग व्हील मंत्री मण्डल को कहा जाता है।

Note — बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति छः माह तक PM या मंत्री रह सकता है। किन्तु छः माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी।

“उपप्रधानमंत्री”

⇒ इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनैतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है।

⇒ जब PM देश से बाहर रहते हैं तो उपप्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं।

⇒ जब उपप्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृहमंत्री देश पर नियंत्रण रखता है।

⇒ अब तक सात उपप्रधानमंत्री बने हैं।

1. सरदार पटेल

2. मोरारजी देसाई

3. चौधरी चरण सिंह

4. जगजीवन राम

5. B.B. चौहान

6. देवी लाल

7. लाल कृष्ण आडवानी

महान्यायवादी (Attorney General):— इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केन्द्र सरकार का प्रथम विधी (अधिकारी कानूनी सलाहकार) होता है।

यह संसद का सदस्य नहीं होता है। किन्तु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता है।


⇒ यह पूर्णकालिका (5 वर्षों के लिए) नहीं होता है।

⇒ बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (इच्छानुसार) होता है जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है।

⇒ इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है।

⇒ केन्द्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमें को महान्यायवादी लड़ता है।

- ⇒ यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है।
⇒ SSosity General सहायक देता है। S.G. को Additional Solicity General सहायता देता है।
- ⇒ वर्तमान महान्यायवादी KK वेणुगोपाल है।



अनुच्छेद-77 — केन्द्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा सम्पन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद-78 — PM का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। +AG

अनुच्छेद-78 — संसद-संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन्स वेकर्ड ने किया। Parliyament शब्द फ्रांस से लिया गया है। जब कि संसद की जननी U.K. को कहते हैं।

संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति

- ⇒ संसद के दो सदन हैं।


लोकसभा और राज्यसभा

संसद किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि था समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। बिना उस राज्य के अनुमति के।

- ⇒ संसद के बिच का भाग Central hall कहलाता है। विदेशी अतिथि Central hall में ही भाषण देते हैं।

- ⇒ संविधान का निर्माण Central hall में ही बैठक हुआ है।

- ⇒ इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है।



- ⇒ यह 1927ई० में बनना शुरू हुआ।

राज्यसभा

- ⇒ इसका विघटन नहीं हो सकता है। जिस कारण इसे स्थायी/उच्च सदन कहते हैं।
- ⇒ इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है।
- ⇒ इसमें मंत्रीमंडल नहीं बैठते हैं। और न ही इसके बहुमत के आधार पर PM बनते हैं।
अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं।
- ⇒ किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
Eg— मनमोहन सिंह पंजाब के हैं। जब कि वह असम से चुनाव लड़ थे।
- ⇒ राज्यसभा की चर्चा “अनुच्छेद-30” में है जब कि अनुच्छेद 80 (क) के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं। जो विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो।
- ⇒ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। किन्तु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एकही बार में नहीं होता है। बल्कि प्रत्येक दो वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है।

R.S = 6 वर्ष (2 वर्ष पर चुनाव)



2010 → 2 वर्ष → 2012 → 2 वर्ष → 2014

2016 → 2 वर्ष → 2018 → 2 वर्ष → 2020

- ⇒ राज्य में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। किन्तु P.O.K पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान संख्या-245 है।
- ⇒ राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या (245 - 12) 233 है।
- ⇒ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता—
 1. भारत का नागरिक हो।
 2. पांगल दिवालिया न हो।
 3. किसी लाभ के पद पर न हो।
 4. कम से कम 30 वर्ष आयु का हो।
- ⇒ राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है।
- ⇒ राज्यसभा की पहली बैठक 3APR 1952 को हुई थी उस समय इसका नाम Council of State था।
- ⇒ 3 Aug 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया।

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ-

1. उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है।
2. जब लोकसभा भंग रहती है। तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है।
3. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसुची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देता है।
4. अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन (निर्माण) का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं।

Eg- भारतीय वन्य सेवा।

- राज्यसभा की कमज़ोरी- 1. बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है।
2. मंत्रीपरिषद् राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
3. यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा कि संख्या बल अधिक होती है।
4. जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है।

लोकसभा (अनुच्छेद-80)

- ⇒ इसका 5 वर्ष से पूर्व भी निघटन हो सकता है। जिस कारण इसे स्थायी या निम्न सदन कहते हैं।
⇒ इसके बहुमत के आधार पर PM बनते हैं। तथा मंत्रीपरिषद् लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन कहते हैं।
⇒ इसका चुनाव जनता सीधे करती है। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं।
⇒ भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
⇒ एकही व्यक्ति दो लोकसभा सिटों से चुनाव लड़ सकता है। किन्तु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है।


Eg- नरेन्द्र मोदी = बरोदरा (त्याग) बनारस

Note — जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया। चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। तथा छः माह के भीतर कराना होगा।

- ⇒ लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए योग्यता
1. भारत का नागरिक हो।
2. पागल, दिवालीया एवं लाभ के पद पर न हो।
3. आयु 25 वर्ष हो अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं।
⇒ लोकसभा की पहली बैठक 1952 ई० हुई उस समय इसका नाम House of People था।
1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया।

Note — संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्य सभा दोनों की शक्तियाँ समान हैं।

सांसद अनुच्छेद-79



विघटित नहीं होता है \longleftrightarrow विघटित होता है।

स्थाई/उच्च सदन \longleftrightarrow अस्थाई/निम्न सदन

अप्रत्यक्ष \longleftrightarrow प्रत्यक्ष

शिक्षितों का सदन \longleftrightarrow जनता का सदन

वृद्धों का सदन (30y) \longleftrightarrow यूवाओं का सदन (25 year)

द्वितीय सदन \longleftrightarrow प्रथम सदन मंत्री

मंत्री नहीं बैठते हैं \longleftrightarrow मंत्री बैठते हैं


12 सदस्य (मनोनित) \longleftrightarrow 2 Anglo India (मनोनित)

अनुच्छेद-82 — प्रत्येक गणना के बाद सिटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद कि व्यवस्था है।

वर्तमान सिटों कि संस्था 1971 कि जनगणना पर आधारित है।

2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सिटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 कि जनगणना पर आधारित होगा।


यह व्यवस्था कुल दीप सिंह समीति द्वारा की गई थी।



अनुच्छेद-83 — सदन कि अवधि की चर्चा है। राज्य सभा स्थायी सदन है जब कि लोकसभा कि अवधि 5 वर्ष है।

अनुच्छेद-84 — संसद की योग्यता है।

1. भारत के नागरिक हो।
2. पागल दिवालीया तथा लाभ के पद पर न हो।
3. लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो।



अनुच्छेद-85 — इसमें सत्र के लिए आहुत (बुलाना) तथा सत्रावसान (सत्र खत्म) कि चर्चा है।

सत्र का आहुत :- राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए LS तथा RS के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र आहुत कहते हैं।

सत्रावसान :- यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है।

कार्यवाही स्थगित :- अनूशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित LS के अध्यक्ष तथा RS के सेनापति करते हैं।

विघटन :- R.S का विघटन नहीं होता है बल्कि L.S का विघटन होता है। L.S का समय से पूर्व (5 वर्ष) समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है।

- ⇒ यदि बहुमत (273 सीट) न हो या बहुमत के PM मंत्रीमंडल से प्रस्ताव पारित कराके L.S को भंग/विघटित करा सकते हैं।
★ “संसद के सत्र” _____ भारतीय संसद के तीन सत्र हैं।

आहुति सत्रावदान

1. बजट सत्र- (Feb – May) बड़ा सत्र
2. मानसुन सत्र- (July – Aug)
3. शीतकालीन सत्र- (Nov – Dec) छोटा सत्र

Remark— संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है।

- ⇒ जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थाई कानून राष्ट्रपति बनाता है।

अनुच्छेद-86 —

राष्ट्रपति का अभिभाषण— राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात् बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हैं।

- ⇒ राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रीमंडल द्वारा लिखा गया है।

अनुच्छेद-87 —

राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण— 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित LS कि पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति सम्बोधित करते हैं।

- ⇒ यह किसी भी सत्र में हो सकता है।

अनुच्छेद-88 — सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में वोल सकता है। किन्तु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है मंत्री अपने सदन में जाकर vote करता है। जिस सदन का वह सदस्य होता है।

अनुच्छेद-89 — इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति कि चर्चा है।

- ⇒ राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है।

- ⇒ सभापति राज्य सभा का पदेन (सर्वेसर्वा) होता है।

अर्थात् राज्यसभा में वह सर्वोपरी होता है।

- ⇒ सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। उनका मत निर्णय ला देता है जिसे निर्णयिक मत कहते हैं।

- ⇒ सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। किन्तु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है।

- ⇒ राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनात है। अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है।

Remark— जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा में से 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थाई सभापति रहेगा।

अनुच्छेद-93 — इसमें LS के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है LS अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है।

- ⇒ अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है।

- ⇒ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही LS के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए LS के प्रस्ताव पारित करना होता है।

Proton Speaker — यह अस्थाई अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है।

- ⇒ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं। बल्कि एक समान्य सदस्य के रूप में Protain Speaker द्वारा शपथ ले लेता है।
 - ⇒ जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो Protain Speaker हट जाता है।
 - ⇒ Protain Speaker उसे बनाया जाता है। जो LS में वरिष्ठ होता है।
- अध्यक्ष की शक्तियाँ—**
2. लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है।
 2. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण Speaker करता है।
 3. लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है।
 4. विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम कि संयुक्त Speaker करते हैं।
 5. गणपूर्ति (1/10 शीट) के अभाव में LS कि कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देता है।
 6. संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता LS अध्यक्ष करते हैं।
 7. संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की न्यूक्ति अध्यक्ष करते हैं।
 8. अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है।

अध्यक्ष की दण्डात्मक शक्तियाँ—

1. अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं।
2. यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देती है।
3. दल-बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देती है।

अनुच्छेद-98 — संसद का सचिवालय

अनुच्छेद-99 — संसदों के शपथ की चर्चा।

अनुच्छेद-100 —

गणपूर्ति (Corn)—

किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/40 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति/अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाही रोक देती है।

Remark— अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा CAG इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है।

संसदीय समितियाँ—इन समितियों के सदस्य का नियूक्ति LS का अध्यक्ष करते हैं।

- ⇒ स्थाई समीति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
- ⇒ “स्थाई समीति” तीन प्रकार के होते हैं।
 1. **प्राक्लन समीति** – यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। सबसे बड़ी स्थाई समीति है। इसमें RS के सदस्य नहीं बनते हैं केवल LS के 30 सदस्य होते हैं।
 2. **लोक लेखा समीति** – बजट द्वारा निकाले गए धन की जाँच करती है। इसे प्राक्लन समीति की जुड़वा बहन कहते हैं।
- ⇒ इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है।
- ⇒ इसमें LS से 15 तथा RS से 7 सदस्य आते हैं अर्थात् कल कुल 22 सदस्य आते हैं।
- 3. **सरकारी उपक्रम समीति** – यह सरकारी कंपनी जैसे NTPC, BSNL इत्यादि कम्पनियों की जाँच करती है। इसमें LS से 15 तथा RS से 7 सदस्य होते हैं।


अर्थात् कुल 22 सदस्य होते हैं।

- * **अस्थाई समीति-** इसका गठन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसे तथर्थ समीति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है।
1. **प्रबल समीति** – यह विवादित विधेयक पर गठन जाँच करती है। इसमें LS तथा RS के अलग-अलग सदस्य द्वारा कार्य किया जाता है। LS से 30 तथा RS से भी सदस्य होते हैं।

Eg- G.S.T. की जाँच

2. संयुक्त प्रबल समीति- किसी घोटाले की जाँच कराता है।

Eg- वोफोर्ड तोप घोटाला



* संसद के विभिन्न प्रस्ताव-

1. प्रस्ताव-संसद को दी गई लिखितजानकारी प्रस्ताव कहलाता है।
2. विधेयक-जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है। तो उसे विधेयक कहा जाता है।
3. कानून-जब किसी विधेयक पर LS, RS तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तो उसे कानून कहते हैं।
4. अधिनियम-किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थाई कानून अधिनियम/अध्यादेश कहलाता है।
5. विशेषाधिकार प्रस्ताव-किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है।
6. ध्याना प्रस्ताव-किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है।
7. कार्यस्थगन प्रस्ताव-किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करने के इसे लाया जाता है। इसे लाने पर संसद में पहले से चल रही कार्यवाही को रोक दिया जाता है। आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

Eg- विदेशी आक्रमण

8. कटौती प्रस्ताव-सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है। तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है।
9. नींदा प्रस्ताव-जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नींदा प्रस्ताव लाया जाता है।
यह प्रस्ताव पारित होने पर उस मंत्री को त्याग पत्र देना होता है।

यदि पुरे मंत्रीपरिषद् के विरुद्ध नींदा प्रस्ताव हो जाए तो पुरे मंत्रीपरिषद् को हटाना होता है।

यह अविश्वास प्रस्ताव के समान हो जाता है।

10. अविश्वास प्रस्ताव-बहुमत या विश्वास मत (273 सीट) के बराबर होता है। जब किसी Party के पास 273 सीट से कम हो तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया।

यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकार को 273 सीटें दिखाने होते हैं। यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकारी को 273 सीटें दिखानी होती है। यदि 273 सीटे पुरी नहीं हो पायी तो सरकार को हटा दिया जाता है।

Eg- अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस प्रस्ताव के कारण 13 दिनों में गिर गई थी।

⇒ इस प्रस्ताव को लाने पर इसकी सुचना 10 दिनों पहले देनी होती है।


* संसद की कार्यवाही

1. प्रश्नकाल-1100 Am से 12100 Am — ये संसद का पहला घण्टा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पुछे जाते हैं।
2. तारांकित प्रश्न-यह मौखिक पुछे जाते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए पुरक प्रश्न भी पुछे जाते हैं। पुरक प्रश्न की अधिकतम संख्या 3 (तीन) होती है।

1. आंतरांकित प्रश्न—यह लिखित में पुछे जाते हैं जिस कारण 10 दिन पुर्व सुचना दी जाती है। इसमें पुरक प्रश्न नहीं पुछे जाते हैं।
2. शुन्यकाल—12:100 से 1:00 PM — संसद का दुसरा घण्टा होता है। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं लागू होता है। यह नाम भारतीय मीडिया ने दिया है।
3. **Lunch** — 1:00 से 2:00 PM — संसद भोजन IRCTC करवाती है।

Note — Lunch के बाद उन सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है। जिन्हें मौका नहीं मिला था।

- ⇒ North block में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय
- ⇒ South Block में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) हैं जो अधिक शक्तिशाली हैं।
- ⇒ India Gate का निर्माण 1921 में लूटिन ने करवाया था। जो प्रथमविश्वयुद्ध में मारे गए अज्ञात सैनिकों के याद में था।



अनुच्छेद-108 —

संयुक्त अधिवेशन—यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो जाए इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता LS का Speaker करता है।

- ⇒ तीनों परिस्थितियों में यह बुलाया जाता है।
 1. एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दुसरा सदन पारित न करें।
 2. एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दुसरा सदन छः माह से अधिक देर तक रोकें।
 3. एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दुसरा सदन मानने से इंकार करें।

Remark— संविधान संशोधन तथा धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकती है।

- ⇒ अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाय गया है।

1. दहेज अधिनियम — 1961

2. बैंकिंग – 1978

3. POTA – 2001

अनुच्छेद-109 — धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान

1. यह पहले LS से ही प्रारंभ होता है।

2. RS इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है।

3. धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव LS मानने के लिए बाध्य नहीं है।

4. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण LS अध्यक्ष करता है।

5. यह विधेयक राष्ट्रपति के पुर्व अनुमति से आता है। अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं।

अनुच्छेद-110 — इसमें धन विधेयक कि परिभाषा है। इसके अनुसार संचित निधी (सरकारी खाता) परिभाषित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है किसी Tax को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक इसी के अन्तर्गत आता है।

अनुच्छेद-111 — विधेयक पर राष्ट्रपति कि अनुमति किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं।

1. विधेयक को रद्द करते हैं-42वाँ संशोधन द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया।

2. पुनर्विचार-विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह अधिकार 44वाँ संशोधन द्वारा दिया गया।

3. विधेयक पर जेबी बीटो कर सकते हैं।

अनुच्छेद-112 — इसमें बजट कि चर्चा है। बजट का अर्थ होता है।-चमड़े का थैला

संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तिय विवरण की चर्चा है।

⇒ बजट LS में पहले प्रस्तुत होता है।

⇒ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किन्तु ये वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं।

⇒ बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है। कि कौन-कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है बजट द्वारा धन नहीं निकलता है।

अनुच्छेद-113 —

प्राकलन- बजट में किये गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा। इस खर्च कि प्रकलन में किया गया है।

अनुच्छेद-114 —

विनियोग विधेयक-प्राकलन में बताये गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है।

⇒ जब तक विनियोग पारित न हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता।

संसद को राष्ट्रीय कोष (धन) का रक्षक कहा जाता है।

अनुच्छेद-115 —

अतिरिक्त/अनुपूरक अनुदान-विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई बढ़ने के कारण कम पड़ जाता है। जिस कारण काम रुक जाता है। अतः पुरा काम करने के लिए अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है।

Eg- पाटलीपुत्रा में बनने वाला दिघापुल

अनुच्छेद-116 —

लेखानुदान-विनियोग विधेयक पारित करने में सरकार को समय लगता है। अतः सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ Advance पैसे निकाल देती है।

- ⇒ कभी-कभी लेखानुदान तो पारित हो जाती है। किन्तु विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। जिस कारण काम अधुरा पड़ जाता है।

अनुच्छेद-117 —

वित्त विधेयक- आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य Finance Bill कहलाता है। यह LS तथा RS दोनों में प्रस्तुत हो सकता है।

अनुच्छेद-120 —

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा—संसद में केवल हिन्दी या English में प्रयोग हो सकता है।

यही किसी संसद को ये दोनों भाषा न आये तो वह सभापति/अध्यक्ष से अनुमती लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है।

अनुच्छेद-121 — संसद जजों के आचरण कार्य प्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता किन्तु उन पर महाभियोग लगा सकता है।

अनुच्छेद-122 — न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं की जाएगी। किन्तु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जाँच होगी।

अनुच्छेद-123 —

राष्ट्रपति का अध्यादेश— जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो तथा कोई अपातकालीन कानून कि जरूरत हो तो मंत्रिमंडल के सिफारिस पर राष्ट्रपति अस्थाई कानून बना लेते हैं। जिसे अध्यादेश कहते हैं।

⇒ राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।

⇒ एक राष्ट्रपति चाहे जीतनी बार अध्यादेश ला सकता है।

⇒ अध्यादेश कि अधिकतम अवधि छः माह होती है। क्योंकि दो सत्रों के बिच एक अधिकतम अंतराल छः माह होता है।

⇒ यदि इस छः माह के भीतर कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की अवधि मात्र 42 दिन रह जाती है। इसे स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन 16 माह के भितर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा। अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।

“सर्वोच्च/उच्चतम न्यायालय”

अनुच्छेद-124 — इसमें SC के गठन की चर्चा है। SC में $30 + 1 = 31$ जज बैठते हैं।

SC में जजों कि संख्या वृद्धि का अधिकार सांसद को है।

SC में जज बनाने के लिए भारत के किसी भी HC में 5 साल जज/10 साल वकील साथ ही राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए।

SC में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज के व्यक्ति के न्यूक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेते हैं।

Remark— SC के पाँच senior जजों को कोलोजियम कहते हैं।

जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है।

अब तक किसी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है।

SC के जज रामा स्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। किन्तु पारित न हो सका।

SC के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

अनुच्छेद-125 — जजों का वेतन- जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जिसमें कटौती नहीं की जाती है।

CJI को 280 लाख रुपया दिया जाता है। तथा अन्य जजों को 250 लाख रुपया दिया जाता है।

अनुच्छेद-126 — जब CJI अनुपस्थित रहता है। तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है। जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं।

इसके वेतन शक्तियाँ भत्ते CJI के बराबर होता है। किन्तु ये अस्थायी होते हैं।

अनुच्छेद-127 — Ad Juide — इसका अर्थ होता है। “इस उद्देश्य के लिए” तदर्द न्यायाधीश (Ad-Juide) संख्या में कमी हो जाए। तब इसे लाने कि सिफारिस CJI राष्ट्रपति से करते हैं। सिफारिस के आधार पर राष्ट्रपति 25 Hc से Ad-Juide के लिए सिफारिस करते हैं।

Ad Juide का वेतन भत्ता तथा शक्ति SC के जज के बराबर होते हैं। किन्तु ये स्थायी जज नहीं होते हैं।

अनुच्छेद-128 — जब Ad Juide उपलब्ध नहीं हो तो सेवा निवृत्त SC के जज को लाया जाता है।

अनुच्छेद-129 — SC अभिलेख न्यायालय (नजीर) का कार्य करती है। अर्थात् SC का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए।

अनुच्छेद-130 — SC का स्थान- SC दिल्ली में है। किन्तु CJI के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ (Branch) किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं।

SC के कुछ जजों ने मामले की त्वरित सुनवायी के लिए हैदराबाद तथा जम्मू काश्मीर में अस्थायी खण्डपीठ डाला था।

अनुच्छेद-131 —

SC की प्रारम्भिक/मूल अधिकारिता

इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं जो केवल SC में सुलझाए जा सकते हैं।

इसमें तीन मुकदमे आते हैं।

1. केन्द्र राज्य विवाद

2. राज्य-राज्य विवाद

3. एक ओर केन्द्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दुसरी ओर अन्य राज्य विवाद।

Note — राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे SC में जाता है। किन्तु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद-71 में है।

अनुच्छेद-132 — HC से SC में अपील करने का अधिकार।

अनुच्छेद-137 — न्यायिक पुनर्वालोकन अर्थात् SC अपने ही फैसले को बदल सकती है।

Eg— SC ने चम्पकन दोहराई राजन मामला (1960) तथा बेरुबरी मामला (1960) में यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किन्तु केशवानंद भारती मामले में SC में न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया और कहा कि संसद इसमें संबोधन कर सकती है। साथ ही SC ने मूलदाचा का सिद्धांत दिया। कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिसमें कि संविधान का मूल दाचा प्रभावित हो।

इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद-395 है। इसमें A,B,C,D करके जोड़ा गया है।

अनुच्छेद-139 — मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले पर रीट निकालना हो तो SC अनुच्छेद-32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद-139 का प्रयोग करेगी।

Eg— सरकारी मास्टर पर परमादेश रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत होगा।

जब कि रेलवे किसी कर्मचारी पर रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद 139 का प्रयोग होगा।

अनुच्छेद-141 — SC का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर वाह्य है।

यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है। तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय उसे दण्डित कर देगा।

अनुच्छेद-142 — राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर SC से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

Eg— 1993 में राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राजजन्मभूमि पर सलाह मांगा। किन्तु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया। अर्थात् सलाह देने से मना कर दिया।

- ⇒ SC संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। यह एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है। यह अपनी स्वायत्त/निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी नियुक्तियाँ स्वयं करता है। SSC या अन्य संस्था द्वारा नहीं करती है।
- ⇒ SC के कर्मचारियों की पदोन्ति निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं SC करती है।
कर्मचारी तथा जजों का वेतन संचित निधी से दिया जाता है। संसद इसमें कटौती नहीं कर सकती है।

CAG (Comptilles & Auditor General)— नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- ⇒ CAG की चर्चा अनुच्छेद-148 से 151 तक है।
अनुच्छेद-148 — इसमें CAG के पद की चर्चा है। CAG कि नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं यह 65 वर्ष आयु या 16 वर्ष तक कार्यकाल अपने पद पर रहते हैं।
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पसंद नहीं होते हैं। बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है।
ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मंत्रीपरिषद का कोई सदस्य CAG नहीं हो सकता है।
अनुच्छेद-149 — इसमें CAG की शक्ति कि चर्चा है। CAG भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। अर्थात् केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च कि जाँच CAG कर देता है।
अनुच्छेद-150 — CAG केन्द्र तथा राज्य दोनों के ही लेखाओं की जाँच कर सकता है।
अनुच्छेद-151 — CAG केन्द्र तथा राज्य के लेखाओं की जाँच की Report राष्ट्रपति को देता है।

Remark— CAG की Report को लोक लेखा समीति जाँच करती है।

“भाग-06 (राज्य)”

- ⇒ यह भाग में अनुच्छेद-152 में से 2378 तक है।
अनुच्छेद-152 — “राज्य की परिभाषा”- राज्य के पास क्षेत्रफल जनसंख्या तथा शासन ये तिनों चिजें होती है। किन्तु सम्प्रभुता नहीं होती है। जिस कारण उसे राज्य कहते हैं।
अनुच्छेद-153 — राज्यपाल का पद- राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किन्तु दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा। किन्तु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिल कर देंगे।
अनुच्छेद-154 — राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। किन्तु वह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान CM होता है। कार्यपालिका के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है। जिसके राज्यपाल को अलग-अलग शक्ति प्राप्त है।
 1. **कार्यकारी शक्ति-** इसके अंतर्गत राज्यपाल, CM, मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं।
 2. **विधायी शक्ति-** यह नियम कानून से सम्बंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमण्डल के सत्र को बुलाते हैं। तथा सत्रावसान करते हैं।
ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर न कर दे विधेयक कानून नहीं बनता है।
 3. **वित्तीय शक्ति-** इसके अन्तर्गत राज्यपाल Emergency fund से पैसा निकाल सकता है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए “राज्य वित्त आयोग” का गठन करते हैं।
 4. **क्षमादान शक्ति-** **अनुच्छेद-161** के तहत राज्य राज्यपाल सजा माफ कर सकता है। किन्तु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदण्ड माफ नहीं कर सकता है।
 5. **अपातकालीन शक्ति-** राज्यपाल को अपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में चली जाती है।

6. विवेकाधिकार शक्ति- इसके अन्तर्गत राज्यपाल बिना किसी की सलाह लिए अपने विवेक करते हैं। यह तब किया जाता है। जब किसी को बहुमत ना मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को CM बना देते हैं। उसे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

7. विशेषाधिकार शक्ति- इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद-14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल को उसके पद के दौरान अपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर कुलाधिपति होते हैं।

Remark— राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है। तो वे उस विधेयक को या तो एक बार लौटा सकता है। या जेबी बीटो कर सकता है।

जब कि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है।

जेबी बीटो कर सकता है। तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात् राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है।

अनुच्छेद-155 — राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा है। इसकी नियुक्ति PM के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

अनुच्छेद-156 — राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

अनुच्छेद-157 — राज्य की योग्यताएँ

1. भारत का नागरिक हो।
2. पागल दिवालिया न हो।
3. लाभ के पद पर न हो।
4. कम-से-कम 35 वर्ष आयु हो।

अनुच्छेद-158 — राज्यपाल के लिए शर्तें—

1. वह विधानमण्डल/संसद का किसी भी सदन का सदस्य न हो।
2. वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा हो।

अनुच्छेद-159 — राज्यपाल को शपथ HC के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।

अनुच्छेद-160 — ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। उसे निर्मिति करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकते हैं।

अनुच्छेद-161 — राज्यपाल की क्षमता शक्ति।

फाँसी सजा नहीं माफ कर सकते।

सैन्य सजा नहीं माफ कर सकते।

अनुच्छेद-162 — राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान विस्तार राष्ट्रपाल करेंगे।

अनुच्छेद-163 — राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगा। जिसके अध्यक्ष CM होंगे।

अनुच्छेद-164 — CM के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।

CM की कर्तव्य एवं शक्तियाँ—

1. CM राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
2. वह विधानमण्डल की सुचना राज्यपाल को देता है।
3. वह किसी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिस राज्यपाल से करता है।
4. CM राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होते हैं।
5. CM के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद् भंग हो जाता है। एवं नया CM अपने अनुसार मंत्रिपरिषद् बनाता है।
6. CM विभिन्न पदाधिकारियों सम्बंधित सिफारिस राज्यपाल को करता है।

अनुच्छेद-165 — महाधिवक्ता (Advocate General)— राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है।

- ⇒ यह विधानमण्डल की कार्यवाही में भाग लेता है। किन्तु उसका सदस्य न होने के कारण vote नहीं कर सकता है।
यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त होते हैं। इसकी योग्यता HC के जज के बराबर है।

अनुच्छेद-168 — इसमें विधानमण्डल या विधान भवन की चर्चा है।

- ⇒ यह राज्य के कानून बनाने की संस्था है।
⇒ इसके तीन अंग हैं-विधानसभा, विधानपरिषद्, राज्यपाल।
⇒ विधानमण्डल के दो सदन होते हैं-विधानसभा, विधानपरिषद्।

अनुच्छेद-169 — इसमें विधानपरिषद् के सृजन्य (निर्माण) की चर्चा है। जिन राज्यों को VP का निर्माण करना हो। यहाँ की विधान विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में VP बन जाएगी। वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है।

- अनुच्छेद-170 —** इसमें VS की चर्चा है। VS भंग हो सकता है। अतः इसे अस्थाई निम्न सदन कहते हैं।
इसके बहुमत दल के नेता को CM बनाया जाता है। अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं।

इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं।

अनुच्छेद-171 — विधान परिषद् (Legisltive Council)— इसकी चर्चा अनुच्छेद-17 में है। इसका विघटन नहीं हो सकता है। अतः इसे उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं।

इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है। अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें बहुमत दल के नेता को CM नहीं बनाया जाता है। अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम 30 वर्ष होनी चाहिए है। अतः इसे वृद्धों का सदन कहते हैं।

इसके अधिकतम सीटों की संख्या VS के 1/3 होती है।

इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है।

1. एक-तिहाई सदस्य VS चुनती है।
2. एक-तिहाई सदस्य को स्थानीय निकाय (पंचायत) के सदस्य चुनते हैं।
3. 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं।
4. 1/2 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य (शिक्षक) चुनते हैं।
5. 1/2 सदस्य को स्नातक पास (3 साल पूर्व) हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं।

Remark— VS के सदस्य को Member of Logeslotive Acemfly [MLA] तथा VP के सदस्य को Member of Legesletive Council [MLA] कहते हैं।

अनुच्छेद-172 — सदनों कि अवधि-VP एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि VS का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

अनुच्छेद-173 — इसमें विधानमण्डल के सदस्यों कि योग्यता है।

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. पांगल दिवालिया न हो।

3. किसी लाभ के पद पर ना हो।
4. VS के लिए Min आयु 25 वर्ष तथा VP के लिए Min आयु 30 वर्ष आयु हो।

अनुच्छेद-182 — इसमें VP के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इन्हें VS के सदस्य चुनते हैं। VS के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं।

- ⇒ VP का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है।

High Court (उच्च न्यायालय)

- ⇒ SC की व्यवस्था USA से लिया गया है जबकि भारत में पहली बार HC कि स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया।
- HC का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।

अनुच्छेद-214 — इसमें HC के गठन की चर्चा है। प्रत्येक राज्य का एक HC होगा।

यदि राज्य बहुत बड़ा है। तो एक ही राज्य में उसे HC के खण्डपीठ (Branch) खोले जाएँगे।

Eg- UP = जखनऊ + इलाहाबाद

छोटे राज्य का एक संयुक्त HC हो सकता है।

Eg- गूवहाटी

- ⇒ सर्वाधिक जज इलाहाबाद HC में [160]
- ⇒ जबकि राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी HC का है।
- ⇒ HC में राज्यों कि संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है। जब कि SC में जजों कि संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है।
- ⇒ HC में जज बनने के लिए DC में 10 साल वकिल या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए।
- ⇒ HC में जजों की नियुक्ति सम्बंधी सिफारिश SC का मुख्य न्यायाधीश HC का मुख्य जज एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं।
- ⇒ HC के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। किन्तु HC का Juide अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
- ⇒ ये 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

Remark— SC के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला जबकि पंजाब, हरियाणा, HC के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला।

किन्तु ये दोनों महाभियोग पारित न हो सका।

- ⇒ SC के जजों को केन्द्रिय संचित निधी से तथा HC एवं DC के जजों का वेतन राज्य को संचित निधी से दिया जाता है।

अनुच्छेद-226 — के तहत HC भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है।

- ⇒ DC के मुकदमे की अपील HC में की जा सकती है। किन्तु सिध्धा मुकदमा HC में नहीं होता है।

कुछ मुकदमे जो सीधे HC में जा सकते हैं।

1. MP तथा MLA का विवाद
2. Company विवाद
3. विवाह या तलाक
4. वसीहत (उत्तराधिकारी) का मामला
5. मुल अधिकार का मामला (अनुच्छेद-226)

6. कर्मचारियों के संवैधानिक स्थिति की जाँच
7. जनहित याचिका (PIL) (Public Interest Litigation)
- ⇒ भारत में कुल 25 HC है। दिल्ली एक मात्र केन्द्रशासित प्रदेश है जिसका अपना HC है।
- ⇒ District Court की चर्चा अनुच्छेद-233 में है इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परिक्षा देनी होती है। या HC के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।
- * **दिवानी मुकदमा-**घन या जमीन से सम्बंधित मुकदमा दिवानी मुकदमा कहलाता है।
इसे Court में सुलझाया जाता है।
Eg- जमीन, विवाद, दहेज विवाद वसिहत मामला इत्यादि।
- Remark—** जब सरकार का पैसा लुटा जाता है तो उसे राजस्व कहते हैं।
Eg- Tax चोरी, बिजली चोरी इत्यादि।
फौजदारी मुकदमा-मार-पिट से सम्बंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं।
⇒ इसे सत्र-न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है।
Eg- हत्या, डकैती, लुट, धमकी, अपहरण, रेप, इत्यादि।
लोक अदालत-इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते हैं। बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है।
लोक अदालत के समझौते या फैसले के विरुद्ध HC या SC में अपील नहीं किया जा सकता है।
★ **परिवार न्यायालय (Family Court)**— इसकी स्थापना सन् 1984 में हुई थी। इसमें छोटे-मोटे परिवारिक मुद्दे जाते हैं।
Eg- सास-बहु विवाद इत्यादि।
★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation)**— इसकी शुरूआत 1980 में अमेरिका से हुई।
भारत में इसकी शुरूआत 1986 में CJI PN भगवती कार्यकाल में हुई।
यह केवल SC या HC में किया जा सकता है।
Eg- वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा।

भाग-07

अनुच्छेद-238 (समाप्त)